

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम छीतर

किरग मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 232/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.9.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का जटवाडा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का जटवाडा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम जटवाडा पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 72 के खातेदार छीतर पुत्र रेवडया हिस्सा पूर्ण जाति चमार सा. देह खातेदार है। उक्त दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मण्डावर द्वारा खातेदार छीतर पुत्र रेवडया हिस्सा पूर्ण जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-4/6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5(8)/राज-4/83/राज-6/16 जयपुर दिनांक 01.11.1996 की अनुपालना में प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 स्वीकार किया जाकर ग्राम जटवाडा पटवार हल्का जटवाडा तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 72 के खातेदार छीतर पुत्र रेवडया हिस्सा पूर्ण जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मण्डावर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.9.2025 को सुनाया गया।</p>	

(अमित कुमार वर्मा) R. A. S.

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर (दौसा)